

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग।

पत्रांक— EB1-01/14.....६३

दिनांक २२.०४.१५

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा०प्र०से०,
ईखायुक्त, बिहार—सह—प्रबन्ध निदेशक,
बिहार राज्य चीनी निगम लिं, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।


विषय :— गन्ना उद्योग विभाग से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि बिहार राज्य चीनी निगम, मुख्यालय, पटना में मानदेय के आधार पर एक सेवानिवृत लेखा पदाधिकारी को कार्य पर रखने हेतु विज्ञापन की प्रति संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अनुरोध है कि राज्य में प्रकाशित होनेवाले सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाये।

अनुलग्नकःयथोक्त।

विश्वासभाजन

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार
—सह—प्रबन्ध निदेशक।

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

सेवानिवृत लेखा पदाधिकारी को मानदेय के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन।

बिहार राज्य चीनी निगम लि० की सभी 15 इकाईयों यथा 1. लौरिया (पश्चिमी चम्पारण) 2. सुगौली (पूर्वी चम्पारण), 3. मोतीपुर (मुजफ्फरपुर), 4. हथुआ (गोपालगंज), 5. SKG सिवान (सिवान), 6. न्यू सावन (सिवान), 7. समस्तीपुर (समस्तीपुर), 8. लोहट (मधुबनी), 9. सकरी (मधुबनी), 10. रैयाम (दरभंगा), 11. बनमंखी (पूर्णिया), 12. गोरौल (वैशाली), 13. वारिसलीगंज (नवादा), 14. गुरारू (गया) एवं 15. बिहटा (पटना) वर्तमान में बन्द है। राज्य सरकार द्वारा बन्द चीनी मिलों एवं निगम मुख्यालय के संदर्भ में Exit Settlement Plan/Revised Exit Settlement Plan की स्वीकृति दी गई है। जिसके तहत कर्मियों का बकाये वेतनादि / सेवान्त लाभ आदि का भुगतान की कार्रवाई चल रही है। बिहार राज्य चीनी निगम की सभी देयताओं की पूर्ति के उपरान्त निगम मुख्यालय स्तर पर समेकित अंकेक्षण कराकर सरकार/महालेखाकार को प्रतिवेदन सौंपा जाना है। बिहार राज्य चीनी निगम से संबंधित कई वाद श्रम न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में लंबित है। जिन पर ससमय एवं समुचित कार्रवाई करना अनिवार्य है।

बिहार राज्य चीनी निगम मुख्यालय, पटना का कार्य सूचारू रूप से सम्पादन कराने हेतु गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-189स्थी० दिनांक-23.10.2013 द्वारा मानदेय के आधार पर नियोजन हेतु लेखा पदाधिकारी का एक पद स्वीकृत है। उक्त पद पर नियोजन हेतु योग्य व्यक्ति जिन्हें लेखा संबंधी कार्यों की समुचित जानकारी, अनुभव एवं कार्य करने के लिए इच्छुक हो और शारिरिक रूप से स्वस्थ हों और निर्धारित अहता रखते हों, वे नियोजन हेतु आवेदन कर सकते हैं।

क्र०स०	पद का नाम	पद की संख्या	मानदेय की राशि।	आरक्षण कोटि
1	2	3	4	5
1	लेखा पदाधिकारी।	01	50,000.00	अनारक्षित।

अहता –

- वाणिज्य स्नातक।
- राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के विभाग/निगम/बोर्ड के सेवानिवृत लेखा पदाधिकारी।
- लेखा पदाधिकारी के रूप में न्यूनतम पांच वर्षों का अनुभव।
- वर्णित पद के लिये बिहार राज्य चीनी निगम लि० के सेवानिवृत/सेवामुक्त कर्मियों को निर्धारित मापदण्ड/अहता एवं निर्धारित मानदेय के आधार पर नियुक्ति में प्राथमिकता दी जा सकती है ताकि उनके पूर्व के अनुभव का लाभ लिया जा सके तथा कार्य सम्पादन में गति लायी जा सके।
- शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हों।
- निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/गंभीर आरोप विचाराधीन/दण्ड अधिरोपित हो/अपराधिक मामला दर्ज नहीं हो।

महत्वपूर्ण –

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक-09.05.2025 अपराह्न 05.00 बजे तक। इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में निर्धारित तिथि तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से बिहार राज्य चीनी निगम लि०, गन्ना उद्योग विभाग, विकास भवन, नया सचिवालय, कमरा न०-318, पटना-800015 के पता पर भेज सकते हैं। विलंब से आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही किसी भी स्थिति में हाथों-हाथ आवेदन प्राप्त किया जायेगा।

दिनांक-09.05.2025 तक अपराह्न 5.00 बजे से तक जो भी आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होगा, उन सभी अभ्यर्थियों का दिनांक-13.05.2025 के पूर्वाह्न 11.00 बजे विशेष ईख पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, विकास भवन, नया सचिवालय, कमरा न०-318, पटना-800015 के कार्यालय कक्ष में वांछित

कागजातों की मूल प्रति एवं एक सेट छायाप्रति के साथ सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों को निर्धारित शर्तों के अधीन नियोजन हेतु सूचीबद्ध किया जायेगा उन अभ्यर्थियों को दिनांक-15.05.2025 के अपराह्न 3.00 बजे से प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य चीनी निगम लि०, पटना के अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष उनके कार्यालय कक्ष में साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर सुयोग्य कर्मी को निर्धारित मानदेय के आधार पर नियोजित किया जायेगा।

शर्त –

1. उपर्युक्त पद पर प्रथमतः नियोजन एक वर्ष के लिये होगी तथा कार्य संतोषप्रद रहने एवं कार्य की आवश्यकता के अनुसार एक-एक वर्ष (अधिकतम, आयु सीमा 65 वर्ष विशेष परिस्थिति में 67 वर्ष) तक के लिये सेवाविस्तार किया जा सकेगा।
2. सेवानिवृत्त और मानदेय के आधार पर नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।
3. कागजातों का सत्यापन हेतु अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये यात्रा भत्ता अथवा किसी भी प्रकार की राशि देय नहीं होगी।
4. कार्य संतोषप्रद नहीं रहने पर किसी भी समय सेवामुक्त किया जा सकता है।
5. मात्र विहित प्रपत्र में भेजा गया आवेदन पत्र मान्य होगा। कंप्यूटर जनित/टाईपिंग आवेदन पत्र ही मान्य होगा। विज्ञापित आवेदन पत्र Download कर टंकित कराकर आवेदन कर सकते हैं अथवा कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
6. विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधित किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। साथ ही नियोजन की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।
7. विस्तृत जानकारी एवं आवेदन करने हेतु विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट state.bihar.gov.in/sugarcane के Notice Board पर उपलब्ध है।

आवेदन के साथ कागजात संलग्न करना है –

1. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
2. कार्य अनुभव प्रमाण पत्र कि स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र।
3. चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
4. निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/गंभीर आरोप विचाराधीन/दण्ड अधिरोपित नहीं हो/अपराधिक मामला दर्ज नहीं हो की स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र।
5. पी०पी०ओ० की प्रति। पी०पी०ओ० उपलब्ध नहीं हो तो प्रशासी विभाग/निगम/बोर्ड द्वारा निर्गत पे पेंशन/उपादान संबंधी स्वीकृत्यादेश की प्रति/कार्य पर रहने का प्रमाण पत्र का स्व अभिप्रमाणित प्रति।
6. पासपोर्ट साइज फोटो स्व अभिप्रमाणित।

अनुलग्नक :—विहित प्रपत्र में आवेदन।

इखायुक्त, बिहार
—सह— प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य चीनी निगम लि०,
पटना।

आवेदन पत्र

बिहार राज्य चीनी निगम लिंग, पटना।
लेखा पदाधिकारी के पद पर मानदेय के अधार पर नियोजन के लिए आवेदन।

फोटो

1	आवेदक का नाम :-	
2	पिता का नाम :-	
3	माता का नाम :-	
4	जन्म तिथि :-	
5	उम्र (दिनांक—01.05.2025 तक) :-	
6	लिंग :-	
7	कोटि :-	
8	राष्ट्रीयता :-	
9	ई—मेल :-	
10	मोबाईल नॉम :-	
11	पी०पी०ओ०संख्या / प्रशासी विभाग / निगम / बोर्ड द्वारा निर्गत पे पेंशन / उपादान संबंधी स्वीकृत्यादेश की प्रति / कार्यरत रहने का प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रामाणित प्रति :-	
12	नियुक्ति की तिथि :-	
13	सेवानिवृति की तिथि :-	

14	लंबित विभागीय कार्रवाई / निगरानी / अपराधिक मामला (यदि कोई हो) :-	
15	स्थायी पता :-	
16	पत्राचार का पता :-	
17	आवार्ड / सम्मान / उपलब्धि यदि कोई हो :-	
18	वर्तमान कार्यभार (यदि कोई हो) :-	
19	विभाग / निगम / बोर्ड / कार्यालय का नाम (जहाँ से उम्मीदवार सेवानिवृत हुआ है) :-	
20	सेवानिवृत पद पर सेवा की अवधि :-	
21	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी :-	
22	लेखा पदाधिकारी के रूप में कार्य अनुभव :- इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कागजात :-	वर्ष माह
1	शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।	
2	कार्य अनुभव प्रमाण पत्र कि स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र।	
3	चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ प्रमाण पत्र।	
4	निगरानी का मामला / विभागीय कार्यवाही / गंभीर आरोप विचाराधीन / दण्ड अधिरोपित नहीं हो / अपराधिक मामला दर्ज	

	नहीं हो की स्व अभिप्राणित प्रमाण पत्र।	
5	पी०पी०ओ० की प्रति। पी०पी०ओ० उपलब्ध नहीं हो तो प्रशासी विभाग /निगम/बोर्ड द्वारा निर्गत पे पेंशन/उपादान संबंधी स्वीकृत्यादेश की प्रति/कार्य पर रहने का प्रमाण पत्र का स्व अभिप्राणित प्रति।:-	
6	पासपोर्ट साइज फोटो की स्व अभिप्राणित प्रति :-	

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है और यदि कोई गलत पायी जाती है तो मैं सजा के लिए उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने वचनबद्ध के लिए दिशा निर्देशों को समझ लिया है और इस संबंध में गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार/बिहार राज्य चीनी निगम लिं, पटना द्वारा जारी भविष्य के किसी भी दिशा निर्देशों सहित पूरी तरह से इसका पालन करूँगा/करूँगी। मैं स्पष्ट रूप से घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे खिलाफ कोई अपराधिक मामला या गंभीर शिकायत नहीं है।

दिनांक—

विश्वासभाजन

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर।